

12.01.2024:—आज पत्रावली प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। मूल वाद—पत्र वर्तमान स्तर पर विद्धा चुका है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

